

209  
24

कोई अपाखित नहीं। वकील अपाखी आवाज  
 लगाये जाने पर हाफिर हुये। प्रार्थना एवं  
 उनके वकील अपाखित नहीं। उन्हें कोई  
 कार आवाज लगाई गई। कोई हाफिर  
 जवाब नहीं आया। अतः प्रार्थना पर  
 आदेश 09 नियम 09 सीपीसी अदम हाफिरी  
 व अदम प्रैरी के स्वार्थिक किया जाता  
 है। प्रार्थना फिसलशुमा होकर दाखिल  
 पफ्तार हो।

2

बहायत कलक्टर मुख्यालय  
 धौलपुर (राजपू)